सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/ATY-666/JH/9/2022-RO-RNC दिनांक : 08.10.2024

सेवा मे,

श्री अनुराग गुप्ता,
पुलिस महानिदेशक,
झारखण्ड सरकार
DRPD बिल्डिंग,पुलिस मुख्यालय,
धुर्वा, राँची, झारखण्ड-834004
ई :मेल-dgp@jhpolice.gov.in
dgpjharkhand@gmail.com

श्री राहुल कुमार सिन्हा
उपायुक्त,
जिलारांची -,
कलेक्टर कार्यालय,
ब्लॉकए-, कचहरी चौक,
जिलारांची -, झारखंड -834001
Email Id: dc-ran@nic.in

श्री चंदन कुमार सिन्हा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला रांची -,
एसएसपी कार्यालय,
जिलारांची-, झारखंड -834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: "भूमाफियाओं द्वारा हमें झूठे मुकदमा में फँसाने की कोशिश करने के संबंध में-" - श्री एतवा उरांव, एवं अन्य, , ग्रामकुर्गी-, पो०कुल्ली -, थानाइटकी-, जिलाराँची का अभ्यावेदन। -

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2024 को **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड)** मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर .मीना /H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID :hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री एतवा उरांव एवं अन्य,
पिता -स्व० बुधवा उरांव ,
ग्राम- कुर्गी, पोस्ट – कुल्ली,
थाना - इटकी, जिला -राँची -835303 (झारखंड)
Ph. No. 9931601797

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-666/JH/9/2022-RO-RNC

भू माफियाओं द्वारा झूंठे मुकदमा में फँसाने की कोशिश करने के संबंध में श्री एतवा उराउ पिता स्व बधुवा उराउ एंव अन्य ग्राम कुर्गी पो. कुल्ली थाना इटकी जिला- राँचीकी शिकायत के मामले में दिनांक 27.08.2024 को 10:00 बजे आयोग के माननीय सदस्या डॉ आशा लकड़ा के समक्ष राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड) मे हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक : 27.08.2024 को 09:30 बजे

सिटिंग/ सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I केअनुसार।

श्री एतवा उराउ पिता स्व बधुवा उराउ एंव अन्य ग्राम कुर्गी पो. कुल्ली थाना इटकी जिला- राँचीकी शिकायत में उन्होने आयोग को अवगत कराया है कि भू माफिया मो. नौसाद पिता श्री मजहर अली व अन्यों ने मिलकर उनके सारे परिवार को झूँटे मुकदमे में फंसाया जा रहा है क्योकि उन्होने हमारी भूमि की गाँव के प्रधान के साथ मिलकर झूंठी वंशावली तैयार करवा लिया है ताकि हमारी जमीन हड़प सके तथा इसी वंशावली तथा प्रशासन से साँठ गांठ करके NH-23 पर पाँच सटर का दुमंजिला दुकान बना लिया है अत हमे न्याय प्रदान कर हमारा हक दिलवाया जाए।

2. इस संबंध में आयोग ने दिनांक 13.10.2022 को पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड राज्य एंव उपायुक्त रांची तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची,को नोटिस भेजकर 15 दिवस में रिपोर्ट मांगा।

3. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गयी जिसके सम्बन्ध में सम्बंधित प्राधिकारियों से प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पायें जाने पर आयोग के माननीय सदस्या डॉ आशा लकड़ा ने दिनांक 27.08.2024 को सभी संबन्धित प्राधिकारियो

आशा लकड़ा

डॉ. आशा ...
भारत सरकार/G...
राष्ट्रीय अनुसूचित ...
National Commission for Scheduled ...
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24657271 Toll Free: 1800117777

के साथ सिटिंग/ सुनवाई तय की गयी तदनुसार सभी संबन्धित को सिटिंग/ सुनवाई हेतु पत्र जारी किए गए।

4. मामले में उपायुक्त, जिला - झारखंड, तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची और शिकायतकर्ता आयोग के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हुए।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई-

- मामले में उपायुक्त, जिला रांची कथित वंशावली की जाँच कर उस ग्राम सभा को सत्यापित करेंगे जिसमे यह विवादित वंशावली तैयार की गयी है अगर यह गलत पाई जाती है तो जाँच कर उसे निरस्त किया जाए।
- अप्रार्थी अन्य राज्य का निवासी प्रतीत होता है जबकि वह खुद को भूमि का स्वामी बता रहा है इस विषय की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।
- मामले में अप्रार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- विवादित भूमि पर किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य की जाँच कर उस पर कार्यवाही की जाए।

मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 15 दिवस में रिपोर्ट आयोग में प्रेषित करे ।

आशा लकड़ा
12/09/2024

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-666/JH/9/2022-RO-RNC

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Shri Vivekanand Shukla
Investigator

Officers from O/o Director General of Police
Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi and
Officers from O/o the Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Shri Rahul Kumar Sinha, Deputy Commissioner, Ranchi

Shri Chandan Kumar Sinha, Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Petitioners

Shri Etva Oraon